भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या-411**
उत्तर देने की तारीख-05/02/2024

**कोचिंग संस्थानों द्वारा झूठे/भ्रामक विज्ञापनों को रोकने हेतु दिशानिर्देश**

**†411. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:**
**श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:**
**श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:**
**श्री सुधीर गुप्ता:**
**श्री प्रतापराव जाधव:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बड़ी संख्या में कोचिंग संस्थान सफलता दर अथवा चयन संख्या के बारे में झूठे दावे कर छात्रों/अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार विभिन्न कोचिंग संस्थानों द्वारा भ्रामक विज्ञापनों को रोकने हेतु एक प्रारूप दिशानिर्देश लेकर आई है/तैयार किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या ये दिशानिर्देश ऑनलाइन कोचिंग संस्थानों पर भी लागू हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या कुछ कोचिंग संस्थान विभिन्न चयनित उम्मीदवारों के संबंध में जानबूझकर महत्वपूर्ण जानकारी छिपाकर उपभोक्ताओं को गुमराह भी कर रहे हैं; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसे संस्थानों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(डॉ. सुभाष सरकार)**

(क) से (ङ) उपभोक्ता कार्य विभाग प्रगतिशील कानून बनाकर उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ताओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा है। वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकियों, ई-कॉमर्स बाजारों आदि के नए युग में उपभोक्ता संरक्षण को नियंत्रित करने वाले तंत्र को आधुनिक बनाने की दृष्टि से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 निरस्त कर दिया गया और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 अधिनियमित किया गया।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत, किसी उत्पाद या सेवा के संबंध में भ्रामक विज्ञापन को ऐसे विज्ञापन के रूप में परिभाषित किया गया है, जो- (i) ऐसे उत्पाद या सेवा का गलत वर्णन करता है; या (ii) ऐसे उत्पाद या सेवा की प्रकृति, पदार्थ, मात्रा या गुणवत्ता के बारे में उपभोक्ताओं को झूठी गारंटी देता है या गुमराह करने की संभावना रखता है; या (iii) एक व्यक्त या निहित प्रतिनिधित्व देता है, जो यदि निर्माता या विक्रेता या उसके सेवा प्रदाता द्वारा किया जाता है, तो यह एक अनुचित व्यापार आचरण होगा; या (iv) जानबूझकर महत्वपूर्ण जानकारी छिपाता है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की स्थापना दिनांक 24.07.2020 से उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं और झूठे या भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए की गई है, जो एक वर्ग के रूप में जनता और उपभोक्ताओं के हितों के लिए हानिकारक हैं।

सीसीपीए ने दिनांक 9 जून, 2022 को भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम और भ्रामक विज्ञापनों के पृष्ठांकन के लिए दिशानिर्देश, 2022 को अधिसूचित किया है। इन दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का प्रावधान है (क) किसी विज्ञापन के गैर-भ्रामक और वैध होने की शर्तें; (ख) प्रलोभन के विज्ञापनों और नि:शुल्क दावा विज्ञापनों के संबंध में कतिपय शर्तें; और, (ग) निर्माता, सेवा प्रदाता, विज्ञापनदाता और विज्ञापन एजेंसी के कर्तव्य। ये दिशानिर्देश ऐसे विनिर्माता, सेवा प्रदाता या व्यापारी पर लागू होंगे जिनकी वस्तुएं, उत्पाद या सेवा किसी विज्ञापन का विषय है या किसी ऐसी विज्ञापन एजेंसी या पृष्ठांकनकर्ता पर लागू होंगे जिनकी सेवा ऐसे सामान, उत्पाद या सेवा के विज्ञापन के लिए ली गई है।

सीसीपीए ने कोचिंग संस्थानों द्वारा भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। इस संबंध में, सीसीपीए ने भ्रामक विज्ञापनों के लिए कोचिंग संस्थानों को 32 नोटिस जारी किए हैं।

इसके अतिरिक्त, शिक्षा मंत्रालय ने देश में कोचिंग केंन्द्रों के विनियमन के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं जिन्हें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपयुक्त कानूनी व्यवस्था के माध्यम से विचारार्थ भेजा गया है। दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की गई है कि कोई भी कोचिंग केन्द्र किसी भ्रामक विज्ञापन को प्रकाशित नहीं करेगा।

***